प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 फॉलोअप कैम्प

...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :–श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

प्रार्थना पत्र संख्या – 56 / 2022

ग्राम पंचायत तिलोरा जरिये सरपंच, ग्राम पचांयत तिलोरा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

।। आदेश ।।

दिनांक : 28.07.2022

तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, प्रस्ताव (तहसीलदार), अभिशंषा तहसीलदार पुष्कर, ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016, राजस्व ग्रुप–6 राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज–6 / 2021पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / राजस्व / 2021 / 9718–46 दिनांक 17.08.2021 तथा पत्रांक 3615–43 दिनांक 19.03.2021 में प्रदत निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम गोयला ग्राम पंचायत तिलोरा तहसील पुष्कर के चरागाह खसरा नम्बर 1820 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 1821 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.02 है0 किस्म बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 1848 रकबा 31.46 है0 किस्म बारानी 3 में से मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया गया है। साथ ही तहसीलदार पुष्कर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गोयला ग्राम पंचायत तिलोरा तहसील पुष्कर के चरागाह खसरा नम्बर 1820 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी 3 में से 0.0091 है0, खसरा नम्बर 1821 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी 3 में से 0.0091 है0, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.02 है0 किस्म बारानी 3 में से 0.0091 है0 एवं खसरा नम्बर 1848 रकबा 31.46 है0 किस्म बारानी 3 में से 1.0355 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.0628 है0 भूमि रास्ते का इन्द्राज तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रेषित नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकितानुसार (रास्ते की चौडाई लगभग 09.16 मीटर) मौके पर उक्त चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शें में **भूमि की किस्म चरागाह यथावत् रखते हुये नियमानुसार गै.मु.रास्ता** दर्ज करावें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज **दिनांक 28.07.2022** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:12 IST
Reason: SelfAttested